

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुकम

13⁰³/₁₈

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
कोर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आपत्तिसुधार आईन्द्रा
दिनांक 16/10/18 को पेश हो

16¹⁰/₁₈

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
कोर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आपत्तिसुधार आईन्द्रा
दिनांक 26/11/18 को पेश हो

11⁰³/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
कोर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आपत्तिसुधार आईन्द्रा
दिनांक 04/04/19 को पेश हो

04⁰⁴/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
कोर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आपत्तिसुधार आईन्द्रा
दिनांक 18/04/19 को पेश हो

18⁰⁴/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
कोर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आपत्तिसुधार आईन्द्रा
दिनांक 23/04/19 को पेश हो

23⁰⁴/₁₉

No Objection
23/04/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उलय पद उप
उतिवाही सं. 3, 5 व 6 की तामिल जारिमें
रजिस्टर्ड र. जी. किमें एक माह से अधिक
का समय हो गया। बसपूरा रजिस्टर्ड र.
जी. उक्त उतिवाहीगण की ओर से कोई शर्त
उत्कलत नही जाया है। अतः उतिवाहीगण सं.
3, 5 व 6 के बिना एक पत्रावली कार्यवाही
अमल में लई जाती है। वकूलाय उलयपद
ने उक्त में सुताविक रजिनाफा दवा डिक

फरमाया जाने का निवेदन किया।
पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध
राजस्व रिकॉर्ड एवं पेशाशुदा राजीनामा का
अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से
बादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया
जाने पर न्यायद्वारा में स्वीकार किया जाता
है तथा उल्लेख में दौखण इस आशय
की जारी की जाती है कि :-

आदेश

तन ग्राम बौधपुरोहितान तहसील जौमाधोपुर
अनसुचित कृषि भूमि ख. नं. 513, 536/1173
काबा 1.2400 है. में जर्न उतिवादी सं. 1 का
नाम हजफ किया जाकर बादी को 1/3 हिस्सा
उतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्सा एवं उतिवादी सं.
2 को 1/3 हिस्सा का उत्तराधिकार काश्तकार घोषित
किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दखलद है। तदनुसार पर्ची डिक्री जारी है।
पत्रावली फौसल श्रमात होकर नम्बर से कम
है तथा वाद तन्मूल दाखिल दफ्तर है।
निर्णय छुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/04/2019

(महिपाल सिंह) RAS
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

डिक्री मुकदमा इस्तदाइ

अंतिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीयानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मुकदमा खंडेला
 व इजलास श्री महीपाल सिंह

① धर्मेश्वर * वनाम ① महावीर *

दावा बाबत दस्तखत एक, स्पष्ट निवेदन, गैरि इजलासी, तन्नासा

मुकदमा नं. 56 रात 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू श्री महीपाल सिंह

व हाजिरी श्री मन्वीत प्रकाश शर्मा गिनजानिव मुद्दई रुबरू श्री बसन्त कुमार

वर्मा गिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

तन गाम चोमू प्रोहीतान तहसील श्रीमद्गोपुर अवस्थित खूषि मूषि ख. नं.

513, 536/1173 कब्जा 1.24 कहे. में दर्ज जतिवाड़ी सं. 1 का नाम एक

किमा जाकल वादी को 1/3 हिस्सा, जतिवाड़ी सं. को 1/3 हिस्सा एवं जतिवाड़ी

सं. 2 को 1/3 हिस्सा का खतका काशतका घोषित किया जाता है। उन्तानुसार *

निज * गुवलिंग * गानत *

शर्मा इस मुकदमें के मय सूद गशरह * फीरती तन्नासा आज की तारीख से

गिरीख अदायगी तक * का अदा करें।

वसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 04 रात 2019 के तारी की गई।

दस्तखत 23/04/2019
 ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खंडेला

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फ्रीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना

* पुत्र टीकरु जाति नामक तिवासी ग्राम - चोमपुणेहितान प.ह.
- चोमपुणेहितान भू. अमि. नि. क्षेत्र. टींगस तह. श्रीमाघोपुर जिला सीकर (प.
- वादी

खनाम

- * ② किशोर पुत्रगण टीकरु
समस्त जाति नामक तिवासीगण ग्राम - चोमपुणेहितान प.ह.
- चोमपुणेहितान भू. अमि. नि. क्षेत्र. टींगस तहसील - श्रीमाघोपुर
जिला सीकर राजस्थान
- ③ पटवारी हल्का ग्राम - चोमपुणेहितान तहसील - श्रीमाघोपुर
- ④ उप पंजियन श्रीमाघोपुर जिला सीकर राजस्थान
- ⑤ भूमिधारी तहसीलकर श्रीमाघोपुर जिला सीकर राजस्थान
- ⑥ जसिमें मैनेजर एच. एस. बी. वी. बँक शाखा - श्रीमाघोपुर
तहसील - श्रीमाघोपुर जिला सीकर राजस्थान
- उत्तिवादीगण

* राजस्व रिकॉर्ड में अमल दामद हो।

23/04/2019
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला